

भारत

रु. 20000

बीस हजार रुपये

TWENTY
THOUSAND RUPEES

RS. 20000

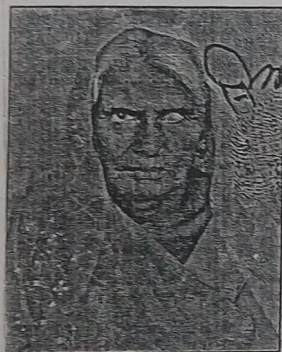
14 JUL 2016

INDIA

र प्रदेश UTTAR PRADESH

B 425408

B 425408



विक्रय-पत्र

बिक्री 20,00,000/- मालियत 20,02,000/- स्टाम्प 1,40,200/-

लेख-पत्र का संक्षिप्त विवरण :

- | | |
|-------------------|--------------------------------|
| 1. भूमि का प्रकार | - कृषि |
| 2. परगना | - प्रतापगंज |
| 3. ग्राम | - छेदानगर वी-कोड-1351 पृष्ठ-96 |

सि. आ. राधा देवी
शान्ती देवी



र प्रदेश UTTAR PRADESH

B 425407

B 425407

- (2)
- | | | |
|--------------------------|---|-----------|
| 4. सम्पत्ति का विवरण नं० | - | 1281 |
| 5. मापन की इकाई | - | हे० |
| 6. क्षेत्रफल | - | 0.278 हे० |
| 7. सड़क की स्थिति | - | कुछ नहीं |

29924 8911

मि. आ. आभा देवी अड्डा
आनंदी देवी





प्रदेश UTTAR PRADESH

B 425406

B 425406

- | | | |
|-------------------------|---|-------------------|
| 8. अन्य | - | कुछ नहीं |
| 9. सम्पत्ति का प्रकार | - | कृषि/सड़क से हटकर |
| 10. पेड़ों का मूल्यांकन | - | कुछ नहीं |
| 11. बोरिंग कुओं व अन्य | - | कुछ नहीं |

(3)

सि. आ. वा. प्र. देवी डकु
शान्ती देवी



✓





UTTAR PRADESH

B 425405

B 425405

- (4)
12. सरकारी दर - 72,00,000/- प्रति हे0 व
13. प्रतिफल की धनराशि - 20,00,000/-
14. चौहद्दी गाटा संख्या 1281
- पूरब- नाला, पश्चिम- खेत गाटा संख्या 1280, उत्तर- खेत
- जामवन्त आदि, दक्षिण- खेत गाटा संख्या 1283.

सि.आ. शाखा दी उर्फ
शाखा दी



✓





प्रदेश UTTAR PRADESH

B 425404

B 425404

(5)

प्रथम पक्ष संख्या 1
विक्रेता का विवरण

द्वितीय पक्ष संख्या 1
क्रेता का विवरण

श्रीमती रामादेवी उर्फ शान्ती देवी
पत्नी रामप्रसाद
निवासी ग्राम व पोस्ट बड़ेल परगना
व तहसील नवाबगंज जिला बाराबंकी
जि० को० सु० - UP/29/143/747354
Mobile No.:

स्टैलियन इन्फ्रा डेवलपर्स प्रा० लि०
Cin No. U70102UP2014PTC067353
द्वारा डायरेक्टर विशाल पुत्र सुजान
निवासी म० नं०-41 मोहल्ला
विशम्भरपुर गनियारी परगना व
तहसील व जिला देवरिया।
PAN-ANQPC5778A
Mobile No. 7800001250

सि० अ० रामा देवी उर्फ
शान्ती देवी

N/A



UTTAR PRADESH

B 425403

B 425403

(6)

--: लेखपत्र का सम्पूर्ण विवरण --:

हम श्रीमती रामादेवी उर्फ शान्ती देवी पत्नी रामप्रसाद निवासी ग्राम व पोस्ट बड़ेल परगना व तहसील नवाबगंज जिला बाराबंकी प्रथम पक्ष विक्रेता व सैलियन इन्फ्रा डेवलपर्स प्रा0लि0 द्वारा डायरेक्टर विशाल पुत्र सुजान निवासी म0नं0-41 मोहल्ला विशम्भरपुर गनियासी परगना व तहसील व जिला देवरिया द्वितीय पक्ष क्रेता। हम दोनों पक्ष भारतीय नागरिक हैं एवं दोनों पक्ष अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य नहीं हैं।---

सि. ००. रामादेवी उर्फ शान्ती देवी

२१२



TAR PRADESH

B 425402

B 425402

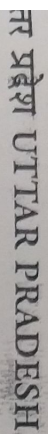
(7)

जोकि मैं प्रथम पक्ष. आराजी भूमिधरी नम्बर 1281 रकबा 0.278हे0 जो ग्राम छेदानगर परगना प्रतापगंज तहसील नवाबगंज जिला बाराबंकी में स्थित है जिसका प्रथम पक्ष पूर्णया स्वामी व संक्रमणीय भूमिधर है जो आज तक हर प्रकार के बन्धक व हस्तान्तरण आदि से शुद्ध व मुक्त प्रथम पक्ष के स्वामित्व व कब्जे में है कोई अन्य व्यक्ति सम्मिलित या साझीदार नहीं है।---

निम्न.वा.भा.द.वी. अर्क
शान्ती देवी



Ra



CY 835808

अतः आज की तारीख से विक्रीत भूमि पर प्रथम पक्ष ने अपने ही समान द्वितीय पक्ष का पूर्ण अधिकार व कब्जा करा दिया। इकारार करता हूँ कि अब आज से मुझ प्रथम पक्ष या मेरे किसी उत्तराधिकारी या अन्य व्यक्ति का कोई स्वत्व या सम्बन्ध विक्रीत भूमि में शेष नहीं रहा द्वितीय पक्ष पूर्णतया स्वामी है। जो चाहे करे व विक्रीत भूमि का दाखिल खारिज इस विक्रय-पत्र द्वारा द्वितीय पक्ष अपने नाम करा लेवे। यदि किसी की दावेदारी से विक्रीत भूमि या उसका कोई अंश द्वितीय पक्ष के स्वामित्व व कब्जे से निकल जावे।---

Ref

तो उसकी वापसी विक्रय मूल्य हर्ज व खर्चा न्यायालय अर्थात् उसकी समस्त जिम्मेदारी प्रथम पक्ष व उसके बाद उसके वारिसान पर होगी। अस्तु यह विक्रय पत्र लिख दिया कि सनद रहे व समय पर काम आवे। विक्रीत भूमि किसी मुख्य मार्ग या अन्य मार्ग या खड़न्जा मार्ग पर नहीं है। इससे सम्बन्धित इससे पूर्व कोई इकरारनामा बय नहीं किया है। यह प्रथम पक्ष की पुश्तैनी सम्पत्ति है इसमें कोई निर्माण नहीं है तथा विक्रीत भूमि में पेड़ व बोरिंग व कुओं व अन्य कोई निर्माण नहीं है। इसकी 0 से 200 मीटर की त्रिज्या के मध्य कोई आवासीय व औद्योगिक व व्यवसायिक गतिविधि नहीं है। विक्रीत भूमि पूर्णतया कृषि भूमि है। विक्रीत भूमि की मालियत सरकार द्वारा निर्धारित 72,00,000/- रूपया प्रति हे0 की दर से मु0 20,02,000/- रूपया होती है। जिस पर अधिसूचना आदेश संख्या स0वि0क0नि0-5-2756/11-2008-500 (165)/2007 लखनऊ दिनांक 30 जून, 2008 के अन्तर्गत मु0 1,40,200/- रूपये के स्टाम्प दिये गये हैं। चौहद्दी गाटा संख्या 1281- पूरब- नाला, पश्चिम- खेत गाटा संख्या 1280, उत्तर- खेत जामवन्त आदि, दक्षिण- खेत गाटा संख्या 1283. लेख पत्र में स्टाम्प देयता को प्रभावित करने वाले सभी तथ्यों का पूर्णतया सत्यतापूर्वक उल्लेख कर दिया गया है कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है। उक्त विक्रय पत्र पक्षकारों द्वारा दिये गये कागजात व उनके द्वारा बताये गये तथ्यों के आधार पर लिखा गया है जिसकी सगारत जिम्मेदारी हम दोनों पक्षों पर होगी। उक्त विक्रीत भूमि में कोई स्टाम्प वाद नहीं है व कोई मध्यस्थ नहीं है। लेखपत्र को उभय पक्षों ने भली-भांति पढ़ व सुन व समझकर हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा किया है। तथा प्रथम पक्ष ने अपनी आवश्यकता के लिए नगद रूपया प्राप्त कर लिया है। तथा दोनों पक्षों के फोटो की पहचान उनके द्वारा दाखिल करये गये साक्ष्य के आधार पर की गयी है।-----

सि. का. शाभा देवी उर्फ
शाब्बी देवी

NR

आज दिनांक 15/07/2016 को

वही सं. 1 जिल्द सं. 9824

पृष्ठ सं. 217 से 248 पर क्रमांक 12480

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर


वी. ओ. यादव

उप निबन्धक नवावांज

वारावकी

15/7/2016

